रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2001/वैशाख 31, 1923

No. 259] NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2001/VAISAKHA 31, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2001

सं. 25/2001-के.उ. शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 380(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उस पद्धति के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 55 के अधीन आने वाले दोहरे/मल्टी फोल्ड सूत के उत्पादन के लिए आबद्ध रूप में खपत किए गए अध्याय 55 के अधीन वर्गीकरण किए जाने योग्य ऐसे एकल सूत पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में (जिसके अन्तर्गत उसका गैर उद्ग्रहण भी सम्मिलित है) सामान्यत: प्रचलन में थी, जिस पर उत्पाद-शुल्क का संदाय कर दिया गया था और ऐसा सूत उन मामलों में उत्पाद-शुल्क के दायित्वाधीन था जिनमें उक्त पद्धति के अनुसार शुल्क उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन 1 मार्च, 1986 को आरम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जा रहा था;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि अध्याय 55 के अधीन आने वाले दोहरे/मल्टी फोल्ड सूत के उत्पादन के लिए आबद्ध रूप से खपत किए गए अध्याय 55 के अधीन आने वाले ऐसे एकल सूत पर, जो उक्त पद्धति के कारण उत्पाद-शुल्क के अध्यधीन था, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय उत्पाद-शुल्क का ऐसे सूत की बाबत संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क उक्त पद्धति के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था।

[फा. सं. 55/9/90-सी एक्स. I]

एस.सी. भाटिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2001

No. 25/2001-Central Excise (NT)

G.S.R. 380(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under Section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said Act), on the single yarn classifiable under Chapter 55 consumed captively for producing double/multifold yarn falling under Chapter 55 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) on which duty of excise was paid and such yarn was liable to duty of excise in cases where according to the said practice the duty was not being levied under Section 3 of the said Act during the period commencing on the 1st March, 1986 and ending with 28th February, 1994,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the duty of excise payable under Section 3 of the said Act on such single yarn falling under Chapter 55 consumed captively for producing double/multifold yarn falling under Chapter 55 and subjected to duty of excise but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such yarn on which the said duty of excise was not being levied during the aforesaid period in accordance with the said practice

[F. No 55/9/90-CX.I]

S.C BHATIA, Under Secy.

1530 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
by of Publications Delhi-110054.